न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्र0 क0 1131–दो/2005 विरूध्द आदेश दिनांक 26–4–2005 पारित व्दारा आयुक्त सागर संभाग, सागर– प्रकरण कमांक 340/अ–6–अ / 2002–03 अपील

1– हरगोविन्द उर्फ मगन पुत्र स्व0 बाबूलाल
2– श्रीमती प्यारीवाई पत्नि स्व.बाबूलाल उर्फ केशवप्रसाद
दोनों निवासीगण साकिन शाहगढ तहसील बण्डा
जिला सागर मध्य प्रदेश

——आवेदकगण

विरूद्व

लक्ष्मीप्रसाद पुत्र स्वर्गीय द्वारका प्रसाद तिवारी
साकिन शाहगढद्व तहसील बण्डा जिला सागर

—अनावेदक

आवेदक के अभिभाषक श्री अजय श्रीवास्तव
अनावेदकगण के अभिभाषक श्री मनोज कुमार नेमा

आदेश

(आज दिनांक 28.7 2014 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर– प्रकरण कमांक 340/अ–6–अ/ 2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 26 अप्रेल 2005 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि स्वर्गीय व्दारका प्रसाद ने नायब तहसीलदार शाहगढ के समक्ष आवेदन देकर मांग की कि उसके स्वामित्व की भूमि खसरा नंबर 607 रकबा 0.48 हैक्टर है जिसका राजस्व सर्वेक्षण (बंदोबस्त) के पूर्व के खसरा नंबर 348/75 था, कानपुर रोड़ से लगा हुआ था किन्तु राजस्व सर्वेक्षण केत दौरान उक्त खसरा नंबर के दक्षिण दिशा में

अनावेदकगण हरगोविन्द का खेत खसरा नंबर 608 नक्शे में बता दिया गया जो गलत है जिसके कारण उनके आने जाने का रास्ता अवरूद्व हो गया है, जिसे सुधारा जावे। नायव तहसीलदार शाहगढ़ ने प्रकरण कमांक 9 अ 6 अ/2001-02 पंजीबद्व किया तथा जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 30.1.2003 पारित किया तथा आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी बण्डा के समक्ष अपील करने पर प्रकरण कमांक 41/अ-6/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 9-7-2003 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 340 अ 6 अ/ 2002-03 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 26 अप्रेल 2005 से अपील अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये । इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं के कम में आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये । अनावेदकगण के अभिभाषकगण व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्कों एंव अनावेदकगण के अभिभाषकगण व्दारा प्रस्तुत लेखी बहस के तथ्यों पर विचार किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में आये खेत पर जाने के लिये मध्य प्रदेश शासन की भूमि खसरा नंबर 348/34 (पुराना सर्वे नंबर) नया सर्वे नंबर 608 बंदोवस्त के पूर्व रास्ते का है और बंदोवस्त में उसी को सर्वे नंबर 608 करके अनावेदकगण के नाम दर्ज किया गया है जिसे मध्य प्रदेश शासन की भूमि शासकीय अभिलेख में दर्ज करने की माग आवेदक ने की है और यही भूमि भूमिस्वामी स्वत्व पर अंकित होने के कारण विकय पत्र दिनांक 10.6.02 को प्रखर प्रज्ञा समिति के हित में विकय हुई है। नायव तहसीलदार के समक्ष जांच में यह तथ्य स्पष्ट हुआ है कि मौजा शाहगढ़ की आराजी कमांक 607 रकबा 0.48 हैक्टर का

बंदोवस्त के पूर्व सर्वे नंबर 348/75 था जो व्दारकाप्रसाद के नाम है और खसरा नंबर 348/76 रकबा 0.22 बाबूलाल उर्फ केशवप्रसाद के नाम है जो बंदोवस्त के वाद सर्वे नंबर 608 बना है और यह दोनों सर्वे नंबर नजदीक स्थित हैं। पटवारी जांच रिपोर्ट के अनुसार शासकीय रिकार्ड में हेराफेरी हुई है वर्तमान में खसरा नंबर 608 को सागर कानपुर रोड से लगा हुआ नक्शे में बनाया गया है। स्पष्ट है कि खसरा नंबर 348/76 जिस स्थिति में बंदोवस्त के पूर्व था बंदोवस्त के दौरान नया नंबर 608 बनाकर उसे नक्शे में अन्यत्र दर्शा दिया गया और नायव तहसीलदार तथा अनुविभागीय अधिकारी ने बंदोवस्त के पूर्व की स्थिति तथा बंदोवस्त के वाद की स्थिति का आकलन करने मे त्रृटि करना पाये जाने से आयुक्त, सागर संभाग, सागर ने नायव तहसीलदार के आदेश दिनांक 30.1.2003 को एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 9-7-2003 को निरस्त करते हुये वादस्त भूमि के स्थल की वास्तविक स्थिति ज्ञात करते हुये हितबद्वों को सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित किया है, जिसके कारण विचाराधीन निगरानी मे आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्रकरण कमांक 340 अ 6 अ/ 2002-03 अपील मे पारित आदेश दिनांक 26 अप्रेल 2005 में हस्तक्षेप करने की गुॅजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी निरस्त की जाती है आयुक्त, सागर संभाग, सागर द्वारा प्र.क. 340 अ 6 अ/ 2002-03 अपील में पारित आदेश दि. 26 अप्रेल 2005 स्थिर रहने से अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में जांच एंव पुर्नसुनवाई होना है। अतः निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करते हुये तीन माह के भीतर प्रकरण का अंतिम निराकरण करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर